



जोधपुर

विद्युत वितरण

निगम लि०

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

नया विजलीघर, औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर - 342 003 फोन नं० 0291-748137 : फेक्स नं० 741870

क्रमांक:- अप्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अनु-\_\_\_\_\_/पत्रा०\_\_\_\_\_/प्रे०सं० 689 जोधपुर,दिनांक 17/07/2001


## आदेश

विषय:- घरेलू, अघरेलू एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं से बकाया राशि वसूली के लिये रियायती योजना ।

- - - - -

निगम के आदेश क्रमांक:जोधपुर डिस्कॉम/अनु-वाणिज्य/पत्रा० /प्रे: 374 दिनांक 12.06.2001 (वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम-45) के द्वारा घरेलू, अघरेलू एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को डी०पी०एस०/ब्याज की राशि माफ करने की रियायती योजना लागू की गई थी जोकि 15 जुलाई, 2001 तक वैध थी । इस रियायती योजना की अवधि अब 31 जुलाई, 2001 तक बढ़ाई जाती है । अन्य शर्तें पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगी ।


आज्ञा से,

  
(ओ०पी०सोबती)

अधीक्षण अभियन्ता(वाणिज्य)

प्रतिलिपी निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है :-

- 1- सचिव, ऊर्जा विभाग, जयपुर ।
- 2- सम्भागीय मुख्य अभियन्ता(परि०एवं संधा०-जोधपुर जोन/बीकानेर जोन),जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर
- 3- मुख्य लेखाधिकारी / वित्तीय सलाहकार, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- 4- उपमुख्य अभियन्ता(मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि०एवं संधा०/पी०पी०एण्ड एम०/पदार्थ प्रबन्ध/एम०एण्ड पी०/ बी०एफ०एल०), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/बाड़मेर/बीकानेर/जैसलमेर/चुरू/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने अधिनस्थ कार्यरत समस्त अधिशाषी/सहायक अभियन्ताओं तथा सहायक राजस्व अधिकारियों को उपरोक्त आदेश की प्रतिलिपी अपने स्तर पर प्रेषित करावें ।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता (ऊर्जा), रीको, जयपुर ।
- 7- वरिष्ठ लेखाधिकारी(परि०एवं संधा०/एम०एम०/अंकेक्षण),जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर/बीकानेर ।
- 8- निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
- 9- उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- 10- कम्पनी सचिव / उपनिदेशक (पी०), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- 11- अधिशाषी अभियन्ता(विधि), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

  
अधीक्षण अभियन्ता(वाणिज्य)